

## विभाग का नाम—पशुपालन विभाग

कार्यालयाध्यक्ष का नाम—  
पशुचिकित्साधिकारी

डा० एम०एस० नयाल, मुख्य

कार्यालय कक्ष सं०—  
ई-मेल आईडी—  
दूरभाष नं०—  
मोबाइल नं०—

24, प्रथम तल।  
cvohardwar@gmail.com  
01334-239378  
9412341102

### पशुपालन विभाग जनपद हरिद्वार की पशुपालकों हेतु विभिन्न योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना	विवरण	योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले कृषक का विवरण
1	पशुचिकित्सा	16 पशुचिकित्सालय, 1 सचल पशुचिकित्सालय व 36 पशु सेवा केन्द्र (शुल्क बड़े पशु 10.00 रु० व छोटे पशु 5.00 रु०)	समस्त पशुपालक
2	टीकाकरण	विभागीय संस्थाओं द्वारा मुख्यतया एफ०एम०डी०, एच०एस०, बी०क्यू०, आर०डी०, एफ०पी० व पी०पी०आर० रोगों के विरुद्ध टीकाकरण किया जाता है। एस्केड योजनान्तर्गत इस योजना में 75 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के कारण टीकाकरण शुल्क एफ०एम०डी० / ब्रूसेला रु० 2.00 के अतिरिक्त अन्य टीके शुल्क रु० 1.00 पर लगाये जाते हैं।	समस्त पशुपालक
3	बधियाकरण	स्थानीय व अवर्गीकृत नस्ल के सांडों का बधियाकरण संस्थाओं द्वारा किया जाता है। शुल्क बड़े पशु— 15.00 रु० छोटे पशु— 10.00 रु०	समस्त पशुपालक
4	कृत्रिम गर्भाधान	नस्ल सुधार हेतु समस्त विभागीय संस्थाओं पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा गोवंशीय व महिषवंशी पशुओं हेतु उपलब्ध कराई जाती है। शुल्क— 60.00 रु० मात्र	समस्त पशुपालक
5	एस्केड कैंप	केन्द्रीय सहायता से जनजागरूकता हेतु संकामक रोगों के बचाव व नियंत्रण हेतु कैंप लगाये जाते हैं।	प्रत्येक विकासखण्ड व जिला मुख्यालय पर एक
6	बांझ पशुचिकित्सा शिविर	उत्तराखण्ड पशु विकास बोर्ड के सौजन्य से बांझ पशुओं की चिकित्सा हेतु विकासखण्डवार कैंप लगाये जाते हैं।	समस्त विकासखण्ड पर
7	पशु प्रदर्शनी	जिला योजना में एस०सी०पी० के अन्तर्गत पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु पालने हेतु प्रेरित करने हेतु कैंप लगाये जाते हैं।	जनपद में दो प्रदर्शनी
8	चारा विकास	जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजना से रबी व	समस्त पशुपालक

		खरीफ हेतु चारा बीजों जई, बरसीम, लोविया, मक्का, चरी इत्यादि क्रयकर निशुल्क वितरित किये जाते हैं।	
9	बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभार्थियों का ग्राम सभा की बैठकों में चयन करते हुए रु0 2100 मूल्य के अन्तर्गत क्रयकर चूजे, मुर्गीयों को दाना, दवा निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।	जनपद के अनुसूचित जाति/जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों हेतु।
10	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	नाबार्ड द्वारा प्रायोजित योजना में डेयरी हेतु पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिस पर समान्य जाति हेतु 25 प्रतिशत व अनु0जाति हेतु 33 प्रतिशत के अनुदान की व्यवस्था है।	समस्त इच्छुक पशुपालक अधिकतम अनुदान रु0 6.00 लाख
11	पशुधन बीमा योजना	उत्तराखण्ड पशु विकास बोर्ड के द्वारा प्रायोजित इस योजना में पशुपालकों के दुधारू पशुओ का बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत अंश बोर्ड द्वारा वहन किया जाता हैं। (दुधारू पशु प्रीमियम एक वर्ष 4 प्रतिशत व 3 वर्ष हेतु 10.5 प्रतिशत)	समस्त पशुपालक मांह मई 2015 में विशेष अभियान
12	राज्य योजना एस0 सी0 पी0	(क)- बकरी पालन इकाई की स्थापना (10 बकरी, 1 बकरा लागत रु0 70000 कृषक अंश रु0 7000 (ख) डेयरी इकाई गाय बछिया सहित रु0 30000 पशु आहार पर व्यय रु0 3000 यातायात व बीमा पर व्यय रु0 7000 कुल रु0 40000 कृषक अंश रु0 4000	चयनित अ0जाति/अ0जनजाति पशुपालक
13	राज्य योजना एस0 सी0 पी0	गोपालन इकाई स्थापना रु0 40000 कृषक अंश रु0 4000	चयनित अ0जाति/अ0जनजाति पशुपालक
14	आर0के0वी0वाय0	1. बछिया पुरुस्कार /काफ रैली 2. गोपालन इकाई स्थापना रु0 50000 जिसमें समान्य जाति हेतु 25 प्रतिशत व अनु0जाति हेतु 33 प्रतिशत के अनुदान की व्यवस्था है। 3. अहिल्याबाई होलकर बकरी पालन इकाई 10बकरी 1 बकरा स्थापना रु0 99770 कृषक अंश रु0 8000 4. अहिल्याबाई होलकर बकरी/भेड़ चिकित्सा शिविर;प्रशिक्षण; एक्सपोजर विजिट 5. इलीट बछिया हेतु अनुदानित मूल्य पर सैक्सड वीर्य रु0 677 कृषक अंश 50 प्रतिशत अनुदान पर।	समस्त वर्ग के लाभार्थी लेकिन 19 प्रतिशत अ0जाति व 4 प्रतिशत अ0 जनजाति हेतु आरक्षित
15	आतमा	1. प्रशिक्षण; एक्सपोजर विजिट; प्रदर्शन 2. कृषक पुरुस्कार 3. फार्मर ग्रुप क्षमता विकास/सीड मनी	समस्त एफ ए सी के सदस्य

		4. फार्म स्कूल स्थापना	
16	नेशनल लाइवस्टॉक मिशन	<p>Enterprenureship Development and enterprenureship generation (EDEG)  <b>Poultry capital venture fund</b></p> <p><b>Integrated Dev.of Small ruminents and Rabbits</b></p> <p><b>Pig development</b></p> <p><b>Salveging of Male buffalo Calf rearing</b></p> <p><b>Rural Slaughter house</b></p> <p><b>Risk Management all type of animals</b></p>	<p><b>Poultry-</b>  1-Central Grower Unit 16000 birds (subsidy 25% ceiling 1.5lac  2-Hybrid Layer Unit 20000 birds (subsidy per 2000birds 2 lac)  3-Hybrid Broiler Unit (subsidy per 1000birds Rs0.56 Lac)  4-Kruoiler Unit ( subsidy25% up to 5.0 Lac )</p> <p><b>Goat Unit-</b>  10+1 unit subsidy 25%ceiling12500  100+5 unit Subsidy 25%ceiling 2.5 lac</p> <p><b>Pig Unit:-</b>  3+1 unit Susidy 25%ceiling 25000  20+4 unit subsidy 25%ceiling 2.0 Lac  Pork outlet subsidy 25%ceiling 2.0 Lac</p> <p><b>Buffalo Calf rearing Unit:-</b>  25 calves subsidy 25%ceiling Rs6250  Commercial unit 25-200 subsidy @6000/calf Max. 1.5 lac  Commercial unit 200-2000 subsidy @3125/calf Max. 6.5 lac</p> <p><b>Rural Slaughter house</b> subsidy 25% max.1.5 lac  <b>Animal insurance of all animals</b> Subsidy for APL 50% and BPL 70%</p>
17	एस पी सी ए	पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960	पशु कूरता पर नियंत्रण
18	ब्रायलर कुक्कुट उत्पादन	राज0 कुक्कुट प्रक्षेत्र बहादुराबाद पर उपलब्ध	रु0 22 / एक दिवशीय चूजा + रु0 3 डुलान व्यय/ चूजा
19	उप चारा बैंक	प्रत्येक विकास खण्ड में स्थापित है ।	राहत एवं दुधारू चारा भेली या फीड ब्लॉक व चाटन भेली राजकीय दरों पर हमेशा उपलब्ध
20	मनरेगा	कनवर्जेस द्वारा कुक्कुट बाड़ा, बकरी बाड़ा व गोशाला का निर्माण	विभागीय योजनाओं से लाभान्वित जौब कार्ड धारकों हेतु ।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,  
हरिद्वार।